

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/2759

दिनांक = 7 OCT 2014

आदेश

बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एवं तत्संबंध में किये गये संशोधनों के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने उन कर्मचारियों, जिनका वेतन (Salary or Wages) 2013-14 गणना वर्ष में ₹ 10,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो, के लिए वर्ष 2013-14 के लिए 8.33% की दर से, अधिकतम ₹ 3500/- तथा न्यूनतम ₹ 100/- एतद् द्वारा बोनस स्वीकृत किया जाता है। उक्त बोनस का भुगतान पूर्ववर्ती म.प्र. विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक कावि/एक/2968 दिनांक 27.06.1967 के साथ संलग्न परिशिष्ट के प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के अंतर्गत देय होगा। वेतन की राशि की गणना कर्मचारी के लेखा वर्ष 2013-14 में प्राप्त वास्तविक वेतन के आधार पर ही की जावेगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 10,000/- प्रतिमाह होगी।

2. उपरोक्त वेतन (Salary or Wages) में कर्मचारी द्वारा गणना वर्ष 2013-14 में प्राप्त वेतन एरियर्स, जो दे दिया गया हो, की भी गणना होगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के पूर्व की अवधि का जो एरियर्स प्राप्त किया गया हो वह बोनस के लिए गणना योग्य नहीं होगा।

3. उपरोक्त भुगतान में होने वाले व्यय को कर्मचारी लागत (Employee Cost) में लिया जावेगा।

4. बोनस का भुगतान दीपावली के पूर्व अनिवार्य रूप से कर दिया जाये।

आदेशानुसार



मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स),
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।

//2//

कमांक अस/एमपीपीटीसीएल/v/2760
प्रतिलिपि-

दिनांक - 7 OCT 2014

1. मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.)/ (सी.आर.ए.)/ (परीक्षण एवं संचार)/ (योजना एवं रूपांकन)/ (प्राक्योरमेंट)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल-ट्रांसमिशन), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर) / (ईआरपी एण्ड आईटी), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (परी.एवं संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधारण)/ (400 के.व्ही.उपकेन्द्र) म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि.,
5. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
6. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/ (संचार)/ (अउदा-निर्माण)/ (अउदा-संधा)/ (ट्रांस-स्टोर)/ (राज्य उप भार प्रेषण)/ (कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि.,
7. उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
8. कम्पनी सचिव / कल्याण अधिकारी / सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
9. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर।
10. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
11. वेब मास्टर/ आदेश नस्ती।

अधीक्षण अभियंता

कार्या.-मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स),
म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि.मि.जबलपुर